

‘ऑपरेशन प्रहार’

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों के साथ शराबबंदी कानून का उल्लंघन करनेवालों की गरिफ्तारी के लिये चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन प्रहार’ के तहत पुलिस ने अप्रैल में 8,859 गरिफ्तारी की हैं।

प्रमुख बटु

- इसके तहत एंटी-लिकर टास्क फोर्स (एएलटीएफ) ने 1.59 लाख लीटर शराब बरामद कर इसमें संलग्न लोगों को गरिफ्तार किया है।
- पुलिस मुख्यालय के आदेश पर गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गरिफ्तारी के लिये ज़िला स्तर पर 67 वज़र टीम तथा प्लाटून का गठन किया गया है।
- एएलटीएफ के द्वारा गरिफ्तारी के मामले में 397 लोगों की गरिफ्तारी के साथ मुज़फ्फरपुर ज़िला सबसे आगे रहा, जबकि 298 गरिफ्तारी के साथ सारण दूसरे और 294 गरिफ्तारी के साथ मोतहारी तीसरे स्थान पर रहा।
- गौरतलब है कि बिहार मद्यनषिध व उत्पाद अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से मार्च 2022 में इसमें संशोधन किया गया है, जिसके प्रमुख प्रावधान नमिनलखिति हैं-
 - इस संशोधन के तहत 2016 के मूल कानून में परिवर्तन करते हुए अब शराब पीते हुए पकड़े जाने पर जुरमाना देकर छोड़ने का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, जुरमाने की रकम अदा कर छूट जाना अभियुक्त का अधिकार नहीं होगा।
 - साथ ही, अगर कोई व्यक्ति शराब या मादक द्रव्य के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे तुरंत गरिफ्तार कर नज़दीकी कार्यपालक मजस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
 - यदि शराब की थोक बरामदगी किसी ऐसे अस्थायी परसिर से होती है, जिसे सीलबंद नहीं किया जा सकता है तो कलक्टर के आदेश से ऐसे परसिर को ध्वस्त किया जा सकता है।